मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

–:आदेश:–

भोपाल, दिनांक 13/7/12

कमांक एफ 13–14/2011/20–1:: म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से उप संचालक लोक शिक्षण के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को राज्य शासन एतद् द्वारा उप संचालक, लोक शिक्षण के पद पर वेतनमान रूपये 15600–39100 ग्रेड–पे 6600/– में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 5 में दर्शाये पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदस्थ करता है:–

स. क्र.	चयन सूची क्र.	लोक सेवक का नाम एवं वर्तमान पद का नाम	श्रेणी	पदस्थापना स्थान
01	02	03	04	05
01	02	श्री राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0भोपाल	अनारक्षित	जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर म0प्र0
02	05	श्रीमती रेखा पटेल, प्राचार्य शासकीय नवीन कन्या उ.मा.वि. तुलसीनगर भोपाल	अनारक्षित	प्राध्यापक,एस.सी.ई.आर.टी., राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल
03.	06	श्री अरविन्द चौरगड़े,,सहायक संचालक /जिला शैक्षिक समन्वयक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बैतूल	अनारक्षित	जिला शिक्षा अधिकारी, नरसिंहपुर म0प्र0

उपर्युक्त नियुक्तियॉ निम्न शर्तो के अधीन रहेगी–

2/ चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की चयनित मुख्य सूची के अनुसार रहेगीं।

3/ मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1982 के नियम 20 अनुसार यह नियुक्तियॉ पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगी।

4/ इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान लिया गया है। उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1982 के अध्यधीन रहेगें।

6/ पदभार ग्रहण करते समय आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही छायाप्रतियॉ सत्यापित करना होगा, सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण पत्र वापिस कर दिया जायेगा।

निरन्तर.....2

7/ यह नियुक्तियॉ पूर्णतः अस्थाई है। नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में यदि नियुक्ति पश्चात् कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह के वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार अधिकारी द्वारा एक माह नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

8/ नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों को तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा और उन्हें नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

9/ ऐसे चयनित शासकीय सेवक जो दिनांक 01.01.2005 के पूर्व से राज्य शासन की नियमित सेवा में है, उनके संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ–9/3/2006/नियम/चार, दिनांक 17 अक्टूबर 2006 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 लागू होगें। दिनांक 01.01.2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देशानुसार अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(बाबूलाल जैसवार)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 13–14/2011/20–1 भोपाल, दिनांक 13/7/12

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव,, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.भोपाल
2. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल
3. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
5. कलेक्टर जिला भोपाल/बैतूल/जबलपुर/नरसिंहपुर म0प्र0
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, भोपाल/बैतूल/जबलपुर/नरसिंहपुर म.प्र.
7. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग भोपाल/होशंगाबाद/जबलपुर, म.प्र.
8. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल/बैतूल/जबलपुर/नरसिंहपुर म.प्र.
10. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल/बैतूल/जबलपुर/नरसिंहपुर म.प्र.
11. संबंधित संस्था प्राचार्य शा.नवीन कन्या उमावि भोपाल
12. संबंधित ....

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13. आर्डर बुक।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

::राकेश मुले::